

27-5-22

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी की तलबी हेतु जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर नोटिस जारी किया गया। नोटिस के पुस्त पर तामिल कुलिन्दा द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि अप्रार्थी तामील कर्ता अमरचन्द बैरवा पुत्र लड्डूलाल बैरवा निवासी अशोक नगर खेरदा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर की मृत्यु हो चुकी है।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी अमरचन्द बैरवा पुत्र लड्डूलाल बैरवा की मृत्यु होने के फलस्वरूप प्रकरण को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त फर्म अमृत मिल्क प्रोडक्ट नीमलीकलां पोस्ट कुश्तला जिला सवाई माधोपुर अप्रार्थी के उत्तराधिकारी के द्वारा वर्तमान में अस्तित्व में पाये जाने पर प्रकरण को नये सिरे से बनाया जाकर अविलम्ब न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

692
24-

